


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं० 9/2020

तारीखरजु:- 20/2/2020

उनवान:- भवरसिंह बनाम पूरणसिंह

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
2/2020	<p>प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि दिनांक 26.03.2020 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 106/0.31, 107/0.32 है0 ग्राम कुढावल तहसील टोडाभीम जिला करौली में प्रार्थी के 1/16 हिस्से तक की आराजी में बाधा उत्पन्न नहीं करे।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.03.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>	<p style="text-align: right;">811-72 20-2-20</p>
26.3.20	<p>वाक की कोर्ट के कार्य स्वगत है। अन्तर्जात रसीद 10/1.0.साख अग्रण पत्र पत्रों के दिनांक 30.4.20 को पेश हो।</p>	

दिनांक 10.9.20
 भाक 513न के कारण जनरल पेशी से पेश डुडी
 प्रार्थी वकील उप०) अर्चिगण की कोरसे
 श्री राधारमण शर्मा Adv. ने वकालतनामा
 पेश किया। जबव पेश कले दिनांक 8.10.20
 को पेश हो।
 उ

8.10.20
 वकुलाय उप०) जबाब पेश करने दिनांक 29.10.20
 को पेश हो।
 उ

29.10.20
 वकुलाय उप०) जबाब पेश करने दि 26.11.20 को पेश हो।
 उ

26.11.20
 क्वी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी... दुर्गा प्रसाद मीना
 उपस्थित गतानुसार दिनांक... 2.1.21...
 को पेश हो।
 उ

7.1.21
 वकील उमयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थनापत्र
 प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा
 हो चुका है। मुकदमा को आगे चलाना नही
 चाहते हैं। इसलिए इस मुकदमे को खारिज
 कर दिया जाय। अतः यह सख्त प्रार्थनापत्र अस्थाई
 निवेदाज्ञा Not-Press में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली के सल सुगार होकर नम्बर से कत्र
 होकर दाखिल दफतर हो।
 उ

(दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करीली